न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–70/2019

राज्य बनाम नीलेश यादव उर्फ मोटा।

मु०अ०सं०–453/2018
धारा–3/25 आर्म्स एक्ट।
थाना–जसवन्तनगर, जिला इटावा।

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 इटावा आप अभियुक्त **नीलेश यादव उर्फ मोटा** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅ–

यह कि दि०–01.11.2018 को समय 19.30 बजे, स्थान ग्राम नगला इन्छा, थानाक्षेत्र जसवन्तनगर इटावा में निरीक्षक जे.पी. पाल व अन्य हमराही पुलिस कर्मियों द्वारा आप अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और आपकी जामातलाशी लिये जाने पर आप अभियुक्त के कब्जे से एक जरब पिस्टल 32 बोर तथा पिस्टल की मैगजीन से 6 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किये गये, जिसे रखने का आपके पास कोई विधिक अनुज्ञापत्र नहीं था। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–3/25** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्त का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक–06.02.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

दिनांक–06.02.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–70/2019
राज्य बनाम नीलेश यादव उर्फ मोटा।

मु०अ०सं०–453/2018
धारा–3/25 आर्म्स एक्ट।
थाना–जसवन्तनगर, जिला इटावा।

–आदेश–

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से अभियोजनपक्ष के मामले का वर्णन किया और अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विचारण देते हुए यह बताया कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ऐसी उपधारण करने का उचित आधार है अभियुक्त **नीलेश यादव उर्फ मोटा** ने धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

दिनांक–06.02.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया और विचारण की मांग की। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 23.02.2023 को प्रस्तुत हो। समस्त गवाहान तलब हो।

दिनांक–06.02.2023

(नीरज कुमार गर्ग)
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।